

File No. अधि-1208/1/2022-F3-FOREST DEPT (Computer No. 6170)

1/17940/2023

1/17940/2023

कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड, देहरादून

ईमेल: ccfadmin-forest-uk@nic.in 0135:2741461,2746934 फैक्स : 2741630,2741462

कार्यालय पता: वन भवन, 85-राजपुर रोड़, देहरादून,

~~उत्तराखण्ड~~

39/1-13(13) एच0आर0डी0, देहरादून दिनांक, 17 फरवरी, 2023.

**पदोन्नति/तैनाती आदेश**भारत सरकार
ONE EARTH - ONE FAMILY - ONE FUTURE

इस कार्यालय के पत्रांक 1/8678/2022/1-13(एच0आर0डी0) दिनांक 28-10-2022 द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया। पदोन्नति समिति की दिनांक 03-11-2022 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर वर्तमान में उत्पन्न रिक्त के सापेक्ष निम्नलिखित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान रू0 47600-151100 लेवल-8 को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान रू0 56100-177500 लेवल-10 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत की जाती है :-

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	तैनाती कार्यालय	पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि
1	2	3	4
1	श्रीमती रेखा पाठक	अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रबंधन, उत्तराखण्ड हल्द्वानी	दिनांक 01-03-2023

1. पदोन्नत अधिकारी द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

2. प्रमुख वन संरक्षक/महानिदेशक, वन अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रबंधन हल्द्वानी के पत्रांक 335/1-12(20) दिनांक 19-11-2022 के क्रम में संबंधित अधिकारी पदोन्नति आदेश प्रभावी होने की तिथि के एक सप्ताह के अन्तर्गत अपने तैनाती कार्यालय में ही पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें। (सक्षम अधिकारी द्वारा आगामी स्थानान्तरण सत्र, में तैनाती आदेश पृथक से किया जायेगा।) यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित अधिकारी का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति कर दी जायेगी।

3. यदि अधिकारी द्वारा पदोन्नति स्वीकार नहीं की जा रही हो तो अधिकारी से लिखित रूप में इस आशय का पत्र प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करें।

4. सक्षम अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत स्वीकृत, रिक्त पदों एवं आवश्यकता की समीक्षा करते हुए आगामी स्थानान्तरण सत्र में पृथक से तैनाती आदेश निर्गत किया जायेगा।

5. अधिकारी की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को अधिकारी के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

6. वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम-22(ए)(1) एवं 22-बी(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण संबंधी तिथि विकल्प दिये जाने हेतु इस आदेश निर्गमन की तिथि से 01 माह की समय-सीमा सरकारी सेवक को उपलब्ध होगी और एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

डा. ए. ए. सी. निरुद्धि
मुख्यालय कार्यालय
के. ए. ए. ए. के

Signed by Vinod Kumar

Date: 16-03-2023

प्रमुख वन संरक्षक, HoFF

D. C. Singh
17.3.2023

1

File No. अध-1-1208/1/2022-F3-FOREST DEPT (Computer No. 6170)

1/17940/2023

1/17940/2023

1/17940/2023
290391/17940/2023
पत्र सं० (1)/1-13(13) (HRD) तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख वन संरक्षक/महानिदेशक, वन अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रबंधन, उत्तराखण्ड हल्द्वानी।
2. मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड देहरादून।
- ✓ 3. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. संबंधित अधिकारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
6. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

(विनोद कुमार)

प्रमुख वन संरक्षक, HoFF